

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती रूचिका माहेश्वरी, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आयड वार्ड न. 16, जिला उदयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गरनवास, जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती रूचिका माहेश्वरी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में अपील संख्या 582/2019 रूचिका माहेश्वरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 582/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और प्रत्यर्थी विभाग को उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में आगामी 15 दिवस में उसके संबंध में राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) पारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थिति एवं पति के मानसिक रोग से पीड़ित होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि खेडी, राउमावि ढिकली, राउमावि नान्दवेल, जिला उदयपुर, में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनकी मांग पर विचार किया जा सके।

अपीलार्थी को उदयपुर जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है परन्तु अपीलार्थी केवल मात्र अपने निवास स्थान के निकटतम विद्यालय में ही पदस्थापित रहना चाहती है जो कि किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित नहीं है। राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती रूचिका माहेश्वरी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।




(सौरभ स्वामी)

अई २२८
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था-एबी/बी-2/रूचिका/582/2019/512
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक: 03.03.2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर।
6. संबधित मुख्य ब्लोक शिक्षा अधिकारी ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती रूचिका माहेश्वरी, प्रधानाचार्य को आदेश की सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)